2015 का विधेयक संख्यांक 211

[दि मेंटल हेल्थ (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2015

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नए अध्याय तीन क का अंत:स्थापन।

2. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 में, अध्याय तीन के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''अध्याय-तीन क

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का अधिकार

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकार।

14क. मानसिक रूप से बीमार प्रत्येक व्यक्ति को:—

(क) समाज में रहने, समाज का हिस्सा बने रहने और समाज से पृथक् नहीं होने का अधिकार होगा;

(ख) बिना किसी प्रकार के भेदभाव के समुचित सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाओं सहित चलाई जाने वाली अथवा निधि-पोषित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध होगी;

(ग) मानसिक रूप से बीमार रोगियों के लिए पुनर्वास स्थापना और आश्रय गृह उपलब्ध होंगे; और

(घ) ऐसी अन्य सुविधाएं जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदान की जाए, प्राप्त करने का अधिकार होगा।

राज्य सरकार मानसिक रोगियों का आंकड़ा संग्रहित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगी और मानसिक स्वास्थ्य सेवा आदि उपलब्ध कराएगी।

14ख. धारा 14क के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक राज्य सरकार:

(*i*) प्रत्येक जिले में कम से कम जिला कलेक्टर के रैंक का एक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगी जो उस जिले में रह रहे मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के ब्यौरे का संकलन करेगा;

(*ii*) प्रत्येक नोडल अधिकारी को मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के साथ सामाजिक भेदभाव के मामले को समुचित सरकार के साथ उठाने के लिए प्राधिकृत करेगी;

(*iii*) मानसिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखरेख के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं में और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करेगी;

(*iv*) यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा संचालित अथवा निधि-पोषित न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक जिले में उपलब्ध हो;

(*v*) यदि मानसिक रोगी के निवास वाले जिले में न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो तो उस जिले में ऐसी अन्य स्थापना में उपचार के सभी लागत व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी;

(*vi*) बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास स्थापनाओं और आश्रय गृहों का उपबंध करेगी; और

(*vii*) प्रत्येक मानसिक रोगी को साठ वर्ष की आयु के बाद ऐसी दर पर वृद्धावस्था पेंशन की संदायगी सुनिश्चित करेगी जैसाकि केन्द्रीय प्राधिकारी उचित समझे।

राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य देखरेख स्थापनाओं का एक रजिस्टर रखेगी।

14ग. (1) प्रत्येक राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य देखरेख स्थापनाओं का रजिस्टर उस प्ररूप में रखेगी जैसा कि विहित किया जाए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रविष्ट रजिस्टर वर्ष में एक बार आम जनता के निरीक्षणार्थ खोला जाएगा।

नोडल अधिकारी द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में जनता में चेतना को बढ़ावा दिया जाना।

14घ. धारा 14ख के खण्ड (1) के अधीन पदाभिहित नोडल अधिकारी मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों के बारे में जनता में चेतना को बढ़ावा देगा।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत की लगभग पांच करोड़ आबादी मानसिक रोग से पीड़ित है और इन व्यक्तियों की विशेष देखभाल किए जाने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का समाज में कोई सम्मान नहीं होता है और वे समुदाय से बार-बार अलग कर दिए जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 से न तो मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी, न ही देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को ही बढ़ावा दिया जा सका।

मानसिक रोग की चपेट में आए व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के मार्ग में मानसिक रोग के कारण कलंक और भेदभाव अभी भी बड़ी बाधा है।

हमारे देश में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अधिकांश कमजोर समुदायों में से एक है जिसे बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संयुक्त परिवार ने बहुत से मानसिक रोगियों को आत्मसात किया है और उनकी देखभाल की है किन्तु व्यक्तिगत परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण इन व्यक्तियों की देखभाल पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए विधायी शक्ति का उपबंध करना है तथा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
29 जून, 2015
8 आषाढ़, 1937 (शक)

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 2 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य सरकार मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास और आश्रयगृहों की स्थापना, वृद्धावस्था पेंशन की संदायगी के लागत व्यय को पूरा करेगी। इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल स्थापना और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में आम आदमी के बीच चेतना बढ़ाने के लिए एक रजिस्टर रखे जाने का भी उपबंध है। राज्यों से संबंधित व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि से किया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार संघ राज्यक्षेत्रों में अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में होने वाला व्यय वहन करेगी। अत: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय किया जाएगा। यद्यपि, इस अवस्था में होने वाले व्यय का बिल्कुल सही आकलन करना कठिन है, इसमें प्रति वर्ष पांच सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय शामिल होगा।

इस पर लगभग सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

लोक सभा

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का संशोधन करने के लिए विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—1712LS(S3)—30-07-2015.